कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2008

1–पात्रता :

ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना के अन्तर्गत निम्न पात्रता निर्धारित की गयी है :–

1. योजनान्तर्गत दिनांक 31.03.1997 के बाद एवं 31.03.2007 से पहले कृषकों की वितरित ऋण की धनराशि को आच्छादित किया गया है।

2. योजनान्तर्गत अल्प अवधि उत्पादन ऋण (Short Term Production Loan) एवं निवेश ऋण (Investment Loan) के मामले में ऐसे ऋण की राशि (लागू ब्याज सहित) सम्मिलित की गयी हैं, जो,

   I. 31 मार्च 2007 तक वितरित की गयी हो और 31.12.2007 को अतिदेय (Over Due) हो और 29 फरवरी, 2008 तक जिसका भुगतान न हुआ हो।

   II. वर्ष 2004 एवं 2006 में भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज़ के माध्यम से पुनः संरचित (Restructured) पुनः अनुसूचीकृत (Resheduled) किया गया हो चाहे वह अतिदेय हो या नहीं।

   III. निवेश ऋण (Investment Loan) के मामले में ऋणों की किश्तें जो अतिदेय (ब्याज सहित) हों, प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग–निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2007 तक के सामान्य तौर पर पुनः संरचित और पुनः अनुसूचीकृत किया गया हो चाहे वह अतिदेय हो या नहीं।

   स्पष्टीकरण :

   1. निवेश ऋण के मामले में 31 मार्च, 2007 तक वितरित ऋण जो एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत किया गया हो या ऐसे खातों के मामले में जिसमें वाद दायर किया गया हो केवल उन्हीं किश्तों की राशि, "पात्र राशि" होगी, जो 31 दिसम्बर, 2007 को अतिदेय रहे हों।
   2. योजना के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति के लिए ब्याज की राशि किसी भी मामले में ऋण की मूल धनराशि से अधिक नहीं होगी।

3. निम्नलिखित ऋण पात्रता के अन्तर्गत नहीं आयेंगी–

   I. 31 मार्च 1997 से पहले वितरित ऋण योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किये जायेंगे।

   II. खड़ी फसल के अतिरिक्त कृषि उत्पाद को बन्धक या दृष्टिबन्धक रखकर दिये गये अग्रिम और

   III. सहकारी ऋण संस्थाओं और समान प्रकार की अन्य संस्था से भिन्न किसी कम्पनी, साझेदारी फर्म, समितियों को प्रदत्त ऋण।

2. ऋण माफी :

लघु एवं सीमान्त किसानों के मामले में सम्पूर्ण "पात्र राशि" की माफी होगी।

3. ऋण राहत :

अन्य किसानों के मामले में एकमुश्त समझौता (OTS)होगी, जिसके अन्तर्गत किसानों को इस शर्त के अधीन "पात्र राशि" का 75 प्रतिशत भुगतान कर देने पर ही शेष 25

प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी, परन्तु 15 जनपदों यथा इलाहाबाद, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, झाँसी, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महोबा, मिर्जापुर, श्रावस्ती, सीतापुर, सोनभद्र के मामले में अन्य कृषकों को पात्र राशि की 25 प्रतिशत या 20,000.00 रूपये इनमे से जो भी अधिक हो, की छूट इस शर्त के अधीन दी जायेगी कि किसान पात्र राशि की शेष धनराशि का भुगतान कर दे।

4. **कार्यान्वयन :**

- योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त किसानों एवं अन्य किसानों के लिए भूमि की जोत के आधार पर प्रस्तावित ऋण माफी एवं ऋण राहत की अलग–अलग सूची तैयार कर सम्बन्धित विवरण 30 जून, 2008 तक शाखा/समिति स्तर पर प्रदर्शित की जानी हैं।
- लघु किसान या सीमान्त किसान के रूप में वर्गीकृत किसान, माफ की जा रही "पात्र राशि" पर नए कृषि ऋण के लिए पात्र होगा
- एकमुश्त समझौता (OTS) के अन्तर्गत राहत के लिए पात्र "अन्य किसान" के रूप में वर्गीकृत अन्य किसान इस आशय का वचनपत्र देगा कि वह अधिकतम तीन किश्तों में अपने हिस्से अर्थात पात्र राशि में (OTS) की धनराशि घटाने के बाद शेष राशि का भुगतान करने को सहमत है और पहली दो किश्तें उसके हिस्से की एक तिहाई राशि से कम नहीं होंगी। तीनों किश्तों के भुगतान की तारीखें क्रमश : 30 सितम्बर, 2008, 31 मार्च, 2009 एवं 30 जून, 2009 होंगी।
- किसानों के वचनपत्र का प्रारूप भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा दिया जायेगा।
- एकमुश्त समझौता (OTS) के अन्तर्गत राहत की राशि अन्य किसान के खाते में उसके द्वारा अपने अन्य हिस्से का पूर्ण भुगतान कर देने के बाद जमा की जायेगी।
- अल्पावधि उत्पादन ऋण के मामले में अन्य किसान अपने हिस्से के एक तिहाई का भुगतान करने के बाद नए अल्पावधि उत्पादन ऋण के लिए पात्र होगा।
- निवेश ऋण के मामले में अन्य किसान अपने हिस्से का पूर्ण भुगतान करने के बाद नए निवेश ऋण का पात्र होगा।

5. **ऋण माफी एवं ऋण राहत के प्रमाण पत्र :**

लघु एवं सीमान्त किसानों के मामले में पात्र राशि की माफी के बाद ऋणदाता संस्था इस आशय का एक प्रमाण पत्र जारी करेगी कि ऋण माफ कर दिया गया है और उसमे माफ की गयी पात्र राशि का उल्लेख करेगी। इसका प्रारूप भी भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा जारी किया जायेगा।

6. **नोट :**

कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2008 के अन्तर्गत पूर्व में जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रदेश में 25.86 लाख कृषकों को एवं रू. 1606.82 करोड़ की धनराशि का आंकलन नाबार्ड द्वारा प्रेषित प्रारूपों पर दिया गया था। नाबार्ड के नये दिशा–निर्देश प्राप्त होने के फलस्वरूप अब इस धनराशि में कमी आने की सम्भावना है। नए प्रारूप प्राप्त होने पर सूचना का संकलन पुनः किया जायेगा।

परिभाषायें :–

1. **सीमान्त किसान(Marginal Farmer)** एक हेक्टेयर (2.5 एकड़) भूमि पर खेती (मालिक के रूप में अथवा भाड़े पर या बटाई पर) करने वाला किसान।
2. **लघु किसान(S/F)** एक हेक्टेयर से दो हेक्टेयर (5 एकड़) तक की भूमि पर खेती (मालिक के रूप में अथवा भाड़े पर या बटाई पर) करने वाला किसान।
3. **अन्य किसान(O/F)** दो हेक्टयेर (5 एकड़) से अधिक की भूमि पर खेती (मालिक के रूप में अथवा भाड़े पर या बटाई पर) करने वाला किसान।

   स्पष्टीकरण :–

   - एक से अधिक किसानों द्वारा अपनी भू जोत को मिलाकर ऋण लेने के मामले में किसानों के वर्गीकरण (लघु या सीमान्त या अन्य किसान के रूप में) का आधार उस समूह की सबसे बड़ी भूजोत के आकार को बनाया जायेगा।
   - ऐसे किसान जिसने सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए (Allied Activties) निवेश ऋण लिया हो मूल ऋण राशि रू. 50,000.00 से अधिक नहीं है, लघु और सीमान्त किसान माना जायेगा और जिसकी मूल ऋण राशि रू. 50,000.00 से अधिक है उसको अन्य किसान माना जायेगा।
   - किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में लिए गए प्रत्यक्ष कृषि ऋण भी इस योजना के अन्तर्गत शामिल किये जायेंगे।
   - किसान द्वारा अल्पावधि उत्पादन ऋण और निवेश ऋण को दो अलग–अलग ऋण माना जायेगा और यह योजना उन दोनो ऋणों के लिए अलग–अलग रूप में लागू होगी। इसी प्रकार जिस किसान ने दो अलग–अलग प्रयोजनों के लिए दो निवेश ऋण लिये हैं उन दो ऋणों को अलग–अलग ऋण माना जायेगा और योजना उन दोनो ऋणों के लिए अलग–अलग रूप से लागू होगी।

4. प्रत्यक्ष कृषि ऋण : कृषि कार्यों के लिए सीधे किसानों को दिये गये "अल्पावधि उत्पादन ऋण" और निवेश ऋण।
5. अल्पावधि उत्पादन ऋण का तात्पर्य फसलोत्पादन के लिए दिया गया ऋण जिसकी वापसी 18 महीन में की जानी अपेक्षित है। इसमें बागान एवं बागवानी (Plantation & Horticulture) फसलों के पारम्परिक और गैर पारम्परिक (traditional & non traditional) उत्पादन के लिये अधिकतम 1.00 लाख रूपये तक का पूँजी ऋण शामिल है।
6. निवेश ऋण से तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष कृषि कार्यकलापों के लिए दिये जाने वाला ऋण।

स्पष्टीकरण :

(क) प्रत्यक्ष कृषि कार्यकलापों के लिए दिये जाने वाला निवेश ऋण जो क्षरित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख–रखाव और उन्हें बदलने तथा भूमि की उपज बढ़ाने के लिए किये गये पूंजी निवेश, जैसे कुओं को गहरा करना, नए कुँए खोदना, पम्प सेट, ट्रैक्टर/बैल खरीदने आदि पर किये जाने वाला व्यय तथा पारम्परिक और गैर पारम्परिक बागान और बागवानी फसलों के उत्पादन हेतु दिये जाने वाला मीयादी ऋण ।

(ख) सम्बद्ध कार्यकलापों के लिये दिये जाने वाला निवेश ऋण जो कृषि से सम्बद्ध कार्यकलापों हेतु परिसम्पत्तियाँ अर्जित करने के लिये दिया जाता है, जैसे डेरी, मुर्गी पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, सुअर पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, ग्रीन हाउस निर्माण और बायो गैस उत्पादन।

7– सहकारी ऋण संस्था से तात्पर्य है ऐसी सहकारी समिति जो,

I. किसानों को अल्पावधि फसल ऋण उपलब्ध कराती हैं और केन्द्र सरकार से ब्याज दर में छूट की पात्र हैं या

II. भारत सरकार या नाबार्ड के विनियमन या पर्यवेक्षण के तहत बैंकिंग कार्यकलाप संचालित करती हैं या

III. किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र में अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना या दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना का भाग है।